

प्रारूप-3
भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र उत्तरांचल प्रदेश कोशी नदी फनोली - बैलाफनी, 0.398

17 पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति - सिपिल सेब वन वंशानुगत अधि 0.398

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्थिति का ब्योरा - नीड पहा

(i) वन का प्रकार उत्तर फोरेस्ट

(ii) वनस्थिति का औसत पूर्ण घनत्व 4

(iii) प्रजातियार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा कोशी नदी

19 भूखण्ड के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थापकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण अनुप्राण की संरचना नहीं

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी लगभग 3.00 कि०मी०

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता विशेष नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा कोशी नदी अनुप्राण वन्य जीव नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अंतरावास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाय किये जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाय किये जायें)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाय किये जायें)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अंतरावास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाय किये जायें)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्थिति और जीव जंतु के अलग या खतरों में अलग किस्म के खतरों की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्व या विरासत स्थल या प्रतिस्मात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाय किये जाने के लिए संक्षेप प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें)

23 पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। कोशी नदी अनुप्राण वन्य

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नहीं

24. **किए गए अतिक्रमण के ब्योरे**

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हा, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्दलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. **क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :**

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। लागू नहीं

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें। लागू नहीं

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनोपकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामोप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। लागू नहीं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के खीरे सलग्न हैं ~~(ह/उत्तर)~~।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय ~~लगभग १०~~।

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सबल उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न है ~~(हां/नहीं)~~।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समावात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है ~~(हां/उत्तर)~~।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सकारिशा ~~स्वीकृति व स्वीकृति की जाती है~~,
स्थान - ~~मच्छेद~~

तारीख - 204-2015

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रसागीय वनाधिकारी,
अरमोडा वन प्रभाग, अरमोडा